

सैंडाई फ्रेमवर्क और DRR के प्रतिभारत की प्रतिबिद्धता

प्रलिस के लयि:

सैंडाई फ्रेमवर्क, 2015, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, CDRI, DRR के प्रतिभारत की प्रतिबिद्धता, G20 आपदा जोखमि न्यूनीकरण (DRR), सतत् वकिस लक्ष्य

मेन्स के लयि:

वैश्वकि आपदा जोखमि न्यूनीकरण में भारत की भूमकि, आपदा जोखमि न्यूनीकरण के लयि पहल, DRR में भारत के लयि प्रमुख चुनौतयि, आपदा जोखमि न्यूनीकरण के लयि प्रमुख समतिकि सफारशि।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यो?

ब्राज़ील के बेलेम में G20 आपदा जोखमि न्यूनीकरण (डज़िास्टर रसिक रडिक्सन-DRR) कार्य समूह मंत्रसितरीय सम्मेलन में वैश्वकि आपदा जोखमि न्यूनीकरण (DRR) पहलो के प्रतिभारत की अटूट प्रतिबिद्धता पर बल दयि गया।

- बैठक में वर्ष 2015 का सैंडाई फ्रेमवर्क के प्रतिभारत की प्रतिबिद्धता पर ज़ोर दयि गया, जसिका उद्देश्य आपदा जोखमि एवं क्षतकि को कम करना है।

नोट:

- G20 देशों द्वारा गठति G20 आपदा जोखमि न्यूनीकरण (DRR) कार्य समूह का उद्देश्य सार्वजनकि और नज़ि क्षेत्र के नविश नरिणयो और नीति नरिमाण में जोखमि न्यूनीकरण उपायो को एकीकृत करना है, ताकि भोजूदा जोखमि को कम कयि जा सके, नए जोखमि के नरिमाण को रोका जा सके तथा अंततः लचीली अर्थव्यवस्थाओं, समाजों एवं प्राकृतकि प्रणालयो का नरिमाण कयि जा सके।

सैंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) क्या है?

- **परचिय:** यह एक संयुक्त राष्ट्र समर्थति ढाँचा है, जो बेहतर तैयारी, आपदा जोखमि वतितपोषण और सतत् वकिस जैसे उपायो के माध्यम से आपदा जोखमि को कम करने पर ध्यान केंद्रति करता है।
 - इसे वर्ष 2015 में सैंडाई, मयिागी, जापान में आयोजति आपदा जोखमि न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र वशि्व सम्मेलन में अपनाया गया था।
 - यह ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (HFA) 2005-2015: आपदाओं के प्रति राष्ट्रिय और सामुदायकि लचीलापन पर केंद्रति है।
 - आपदा जोखमि को कम करने में प्राथमकि भूमकि राज्य की है, लेकनि यह ज़िम्मेदारी स्थानीय सरकार, नज़ि क्षेत्र और अन्य हतिधारकों सहति अन्य हतिधारकों के साथ साज़ा की जानी चाहयि।
- **कार्यानवयन संगठन:** संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखमि न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) को सैंडाई फ्रेमवर्क के कार्यानवयन, अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा में सहायता करने का कार्य सौपा गया है।
- **एजेंडा 2030 में भूमकि:** सैंडाई फ्रेमवर्क अन्य एजेंडा 2030 समझौतो के साथ मलिकर कार्य करता है, जसिमें [पेरसि समझौता \(2015\)](#), वकिस के लयि वतितपोषण पर अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा (2015), न्यू अर्बन एजेंडा और अंततः सतत् वकिस लक्ष्य शामिल हैं।

नोट:

- **हयोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (HFA) 2005 और 2015** के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों के लिये वैश्विक ब्लूप्रिंट था। इसे वर्ष 2005 में कोबे, हयोगो, जापान में आयोजित आपदा न्यूनीकरण पर दूसरे विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था।
 - वर्ष 1994 में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर पहला विश्व सम्मेलन योकोहामा, जापान में आयोजित किया गया था।
- इसका लक्ष्य वर्ष 2015 तक आपदा से होने वाली क्षति, जीवन के साथ-साथ समुदायों तथा देशों की सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय परसंपत्तियों को होने वाली क्षति को भी कम करना है।

DRR पहल में भारत की क्या भूमिका रही है?

- **वैश्विक स्तर:**
 - **G20: वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान, भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह के गठन की पहल की, जो आपदा समुत्थान (Disaster Resilience) के लिये वैश्विक सहयोग में एक मील का पत्थर साबित होगा।**
 - **G20 की अध्यक्षता में भारत ने पाँच प्राथमिकताओं के आधार पर इस मुद्दे पर अपना सक्रिय दृष्टिकोण व्यक्त किया है।**
 - पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ
 - आपदा-रोधी अवसंरचना
 - आपदा जोखिम न्यूनीकरण वित्तपोषण
 - रकिवरी रेज़लियेंशन
 - प्रकृति आधारित समाधान
- **आपदा रोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन (CDRI):** भारत के नेतृत्व में **CDRI** आपदा रोधी अवसंरचना के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - अब इसमें **40 देश और सात अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं।**
- **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारी:** ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ त्रिपक्षीय बैठकों में भारत की भागीदारी, साथ ही जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय संवाद, वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों को आकार देने में भारत के बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं।
- **एशियाई आपदा तैयारी केंद्र (ADPC):** **ADPC** एक स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु लचीलेपन पर केंद्रित है। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिये एशियाई आपदा तैयारी केंद्र (ADPC) के अध्यक्ष का पदभार संभाला।
 - इसकी स्थापना भारत और आठ पड़ोसी देशों: **बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड** द्वारा की गई थी।
- **राष्ट्रीय स्तर:**
 - **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005:** आपदाओं और इससे जुड़े अन्य मामलों के कुशल प्रबंधन के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था।
 - **NDMA का औपचारिक गठन 27 सितंबर, 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री और नौ अन्य सदस्य थे तथा एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था।**
 - **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)** आपदा प्रतिक्रिया के लिये समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा त्वरित प्रतिक्रिया बल है। इसका गठन वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के लिये विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से किया गया था।
 - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP):** **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP)** केंद्रीय मंत्रालयों/वभागों, राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों, जिला प्राधिकरणों और स्थानीय स्वशासन सहित विभिन्न हतिधारकों की भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को परिभाषित करती है।
 - वर्ष 2016 की NDMP विश्व की पहली राष्ट्रीय योजना थी, जो सैंड्राई फ्रेमवर्क के साथ स्पष्ट रूप से संरेखित थी। संशोधित NDMP वर्ष 2019 में पेश किया गया था।

DRR में भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- जोखिम प्रबंधन के **विभिन्न पहलुओं पर तैयारियों में, खासकर बड़े भूकंप और बाढ़** जैसी भयावह आपदाओं के लिये, महत्त्वपूर्ण अंतराल है। **विभिन्न सरकारी एजेंसियों और हतिधारकों के बीच खराब समन्वय** आपदा प्रतिक्रिया एवं पुनर्प्राप्ति में अक्षमता का कारण बन सकता है।
- भारत की आपदा जोखिम प्रबंधन क्षमता को इसके **वशाल जनसंख्या के कारण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।** वर्ष 2030 तक दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत में चरम मौसम और प्राकृतिक आपदाओं का सबसे अधिक जोखिम होने की संभावना है।
- **कई क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे की कमी है**, जिससे अधिक नुकसान और क्षति होती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र भूकंप से सबसे अधिक जोखिम में है तथा यहाँ भूकंपीय रूप से सुरक्षित बुनियादी ढाँचे और भवनों का अभाव है। यह भूस्खलन, बाढ़ और कटाव के प्रती भी संवेदनशील है।

- जनता में प्रायः जागरूकता और तैयारी की कमी होती है, जिससे प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है।
 - आपदा प्रबंधन के लिये वित्तीय और मानव संसाधन अक्सर अपर्याप्त होते हैं, जिससे जोखिम न्यूनीकरण उपायों का कार्यान्वयन प्रभावित होता है।

1 OUTCOME

The substantial reduction of disaster risk and losses in lives, livelihoods and health and in the economic, physical, social, cultural and environmental assets of persons, businesses, communities and countries

1 GOAL

Prevent new and reduce existing disaster risk through the implementation of integrated and inclusive economic, structural, legal, social, health, cultural, educational, environmental, technological, political and institutional measures that prevent and reduce hazard exposure and vulnerability to disaster, increase preparedness for response and recovery, and thus strengthen resilience

4 PRIORITIES

Understanding disaster risk	Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk
Investing in disaster risk reduction for resilience	Enhancing disaster preparedness for effective response, and to "Build Back Better" in recovery, rehabilitation and reconstruction

7 TARGETS

To Decrease

- ↓ DISASTER MORTALITY BY 2030
- ↓ NUMBER OF AFFECTED PEOPLE BY 2030
- ↓ ECONOMIC LOSS BY 2030
- ↓ INFRASTRUCTURE DAMAGE BY 2030

To Increase

- ↑ DRR NATIONAL/LOCAL STRATEGIES BY 2020
- ↑ INTERNATIONAL COOPERATION BY 2030
- ↑ EWS AND DR INFORMATION BY 2030

// आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये प्रमुख समितियों की सफारिशें क्या हैं?

- आपदा प्रबंधन और राहत 2019 के लिये केंद्रीय सहायता पर स्थायी समितियों की रिपोर्ट:
 - राहत का पैमाना: सभी प्रमुख आपदा व्यय को कवर करने के लिये राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के मानदंडों का वसति किया जाएगा।
 - आपदा न्यूनीकरण नधि: आपदा-प्रवण राज्यों में स्थायी न्यूनीकरण उपाय करने के लिये एक अलग आपदा न्यूनीकरण नधि का संचालन किया जाएगा।
 - वित्तपोषण तंत्र: केन्द्र प्रायोजित नधियों का 10% विशेष रूप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं की स्थायी बहाली के लिये निर्धारित किया जाएगा।
- द्वितीय ARC द्वारा अनुशंसित सुधार:
 - दीर्घकालिक न्यूनीकरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिये जिला आपदा प्रबंधन योजना का सुझाव दिया गया।
 - संवधान में आपदा के लिये अलग प्रावधान।
 - आपदा प्रबंधन को शिक्षा पाठ्यक्रम में एक वर्ष के रूप में शामिल किया जाना चाहिये।
 - आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू की जाएगी।
 - राज्य सरकारों को आपदा/संकट प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संभालनी चाहिये, तथा केंद्र द्वारा सरकार सहयोग प्रदान किया जाना चाहिये।

प्रश्न: वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिये, विशेष रूप से G20 ढाँचे के माध्यम से, तथा मूल्यांकन कीजिये कि इसकी प्राथमिकताएँ सैंडाई फ्रेमवर्क 2015-30 के साथ किस प्रकार संरेखित हैं। घरेलू स्तर पर प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लागू करने में भारत को कनि चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

??????????:

प्रश्न. नमिंनलखिति में से कसि एक समूह में चारों देश G-20 के सदस्य हैं? (2020)

- (a) अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की
- (b) ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड
- (c) ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब और वयितनाम
- (d) इंडोनेशिया, जापान, सगिपुर और दक्षिण कोरिया

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sendai-framework-and-india-s-commitment-to-drr>

